न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्याः–18/2024 दायर दिनांकः–15.10.2024

जीसीएमएस नं.2024/452

गोपाल लाल मीना पुत्र विशनपाल जाति मीना निवासी कल्लूकापुरा कटकड तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0

-------प्राथी

बनाम

तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बावत् पत्थर गढी व सीमाज्ञान
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –1.श्री अशोक नीमनका प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 18.10.2024

प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 128 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरजी खसरा न0 1849 रकबा 84 ऐयर, 1869 रकबा 50 ऐयर, 4691/1846 रकबा 1 ऐयर, 4693/1847 रकबा 2 ऐयर, 4695/1848 रकबा 5 ऐयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.42 है0 स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन का प्रार्थी एक मात्र खातेदार काश्तकार है। जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई सरोकार या संबंध किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थी की आराजीयात की डौल मैड को लेकर आये दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। जिसे टालने बाबत प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहता है। जिससे प्रार्थी शांति पूर्वक अपनी आराजीयात की काश्त कर सके इसलिये प्रार्थनापत्र पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:47:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि आराजीयात खसरा न0 1849 रकबा 84 ऐयर, 1869 रकबा 50 ऐयर, 4691/1846 रकबा 1 ऐयर, 4693/1847 रकबा 2 ऐयर, 4695/1848 रकबा 5 ऐयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.42 है0 स्थित ग्राम कटकड

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

तहसील हिण्डौन का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तबल किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन द्वारा पत्रांक 5847 दिनांक 17.10.2024 जबाब पेश किया गया । जो इस प्रकार है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी खसरा न0 1849, 1869, 4691/1846, 4693/1847, 4695/1848 कुल किता 5 रकबा 1.4250 है0 जो जमाबंदी संवत 2071–74 वाके ग्राम कटकड में वादी गोपाल लाल मीना पुत्र विशनपाल जाति मीना साकिन देह दर्ज है। बिन्दु संख्या 2 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 3 कानूनी है। बिन्दु संख्या 4 कानूनी है। बिन्दु संख्या 5 कानूनी है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 128, 111 आरटी एक्ट स्वयं की दर्ज खातेदारी खसरा न0 1849, 1869, 4691/1846, 4693/1847, 4695/1848 कुल किता 5 रकबा 1.4250 है0 वाके ग्राम कटकड का पत्थरगढी कराना चाहता है जो नियमानुसार निर्धारित शुल्क पर बाद सीमाज्ञान पत्थरगढी की विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना उचित होगा। उक्त जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 खाता संख्या 1363 पेश किये है।

प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और अवगत कराया है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1849 रकबा 84 ऐयर, 1869 रकबा 50 ऐयर, 4691/1846 रकबा 1 ऐयर, 4693/1847 रकबा 2 ऐयर, 4695/1848 रकबा 5 ऐयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.42 है0 स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिये जाने का निवेदन किया एवं पैरोकार सरकार द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी भूमि का नियमानुसार निर्धारित शुल्क पर बाद सीमाज्ञान पत्थरगढी की किया जाना संभव होने के संबंध में अभिशंषा की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:47:52 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्षकारान को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

विवादित आराजी खाता संख्या 1363 में गोपाल लाल मीना पुत्र विशनपाल जाति मीना सा.देह खातेदार वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं तहसीलदार हिण्डौन की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1849, 1869, 4691/1846, 4693/1847, 4695/1848 कुल किता 5 रकबा 1.4250 है0 वाके ग्राम कटकड का सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुँचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1849, 1869, 4691/1846, 4693/1847, 4695/1848 कुल किता 5 रकबा 1.4250 है0 वाके ग्राम कटकड का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें, सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निश्चित करते हुए खातेदार को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें एवं सीमाज्ञान व पत्थरगढी में आवश्यकता होने पर पुलिस जाब्ता की उपस्थिति में कार्यवाही संपादित करावे तथा प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार हिण्डौन के यहॉ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन 15 दिवस में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 18.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 18/10/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:47:52 IST
Reason: SelfAttested